न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 01/2021

अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. सुखदेव सिंह पुत्र श्री गुरमेल सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एम एल ढाणी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
2. जगदेव सिंह पुत्र श्री गुरमेल सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एम एल ढाणी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
3. गुरसेवक सिंह पुत्र श्री गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एम एल ढाणी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
4. हरविन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एम एल ढाणी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

—— वादीगण

बनाम

1. गुरबचन सिंह पुत्र पालसिंह उर्फ पालासिंह जाति जटसिख निवासी 10 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. गुरमेलसिंह पुत्र पालसिंह उर्फ पालासिंह जाति जटसिख निवासी 10 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

—— प्रतिवादीगण

उपस्थित– अधिवक्ता श्री विनोद सिंवर (वादीगण)
अधिवक्ता श्री रोबिन गुम्बर (प्रतिवादी–1 व 2)
पैरोकार राज (प्रति.–3)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

–:: निर्णय ::–

दिनांक 16.02.2021

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार वादीगण चक 10 एम एल ढाणी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के स्थाई निवासी है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं। प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण संख्या 1 व 2 का पिता है तथा प्रतिवादी संख्या 2 वादीगण संख्या 3 व 4 का पिता है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण को संयुक्त परिवार था तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पास संयुक्त परिवार की उत्तराधिकारी से प्राप्त कृषि भूमि है। जिसके वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदारान हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने संयुक्त रूप से मेहनत करके पैतृक सम्पत्ति की आय से भूमि क्रय भी की। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से वर्तमान में वाके चक 10 एम एल पटवार हल्का लड्डावाली भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 20/20 का मुरब्बा नम्बर 35 व 37 की कुल 1.972 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि वादी गुरसेवक सिंह व सुखदेव सिंह तथा प्रतिवादीगण गुरबचन सिंह, गुरमेल सिंह के नाम से बहिब, इसी चक 10 एम एल का खाता संख्या 21/18 (मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2072–2075) का मुरब्बा नम्बर 32, 35, 36 व 37 की कुल 10.953 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि प्रतिवादीगण गुरबचन सिंह व गुरमेल सिंह के नाम से बहिस्सा बराबर व इसी चक 10 एम एल का खाता संख्या 22/21 का मुरब्बा नम्बर 44 की कुल 3.415 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि वादी हरविन्द्र सिंह व जगदेव सिंह तथा प्रतिवादीगण गुरबचन सिंह, व गुरमेल सिंह के नाम से, इसी चक 10 एम एल का खाता संख्या 23/19 का मुरब्बा नम्बर 32 की कुल

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

2.087 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में से 1313/2087 है। भूमि प्रतिवादी गुरबचन सिंह के नाम से व 774/2087 है0 भूमि प्रतिवादी गुरमेल सिंह के नाम से, इसी चक 10 एम एल का खाता संख्या 26/24 का मुरब्बा नम्बर 32 की 1.073 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 33 का किला नम्बर 15/2(0.223), 16/2(0.222)= 0.445 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि कुल 1.518 हैक. कृषि भूमि प्रतिवादीगण गुरसेवक सिंह व सुखदेव सिंह के नाम से व इसी चक 10 एम एल का खाता संख्या 60/55 का मुरब्बा नम्बर 35 की कुल 0.988 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में से 0.089 है0 भूमि प्रतिवादी गुरमेल सिंह के नाम से दर्ज कागजात माल है। उक्त समस्त सम्पत्ति वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक व पैतृक सम्पत्ति की आय से अर्जित होने के कारण जददी जायदाद है। पूर्व में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त परिवार में निवास करते थे मगर जैसे–जैसे परिवार बढता गया, संयुक्त परिवार में रहना संभव नहीं रहा, इसलिए वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने अपनी आपसी सहमति से अपनी उक्त भूमि का मौखिक रूप से घरू बंटवारा कर लिया तथा प्रतिवादीगण ने वादीगण के साथ घरू बंटवारा करके घरू बंटवारा के अनुसार निम्नानुसार भूमि दे दी, जिस पर वादीगण निम्न प्रकार से काबिज चले आ रहें हैं:–

(क). वादी संख्या 1 सुखदेव सिंह को बंटवारा में प्राप्त भूमि जिस पर वादी संख्या 1 काबिज चला आ रहा है:– चक 10 एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 22/21 का मुरब्बा नम्बर 44 का किला नम्बर 1 से 10 (प्रत्येक 0.253), 11/1, 12/1, 13/1, 14/1, 15/1 (प्रत्येक 0.17 कुल 3.415 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि।

(ख) वादी संख्या 2 जगदेव सिंह को बंटवारा में प्राप्त भूमि जिस पर वादी संख्या 2 काबिज चला आ रहा है:–चक 10 एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 21/18 का मुरब्बा नम्बर 36 का किला नम्बर 3/2(0.012), 3/3(0.114), 4 से 7. 14 से 18, 23 से 25 (प्रत्येक 0.253) कुल 3.162 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि।

(ग) वादीगण संख्या 3 व 4 गुरसेवक सिंह व हरविन्द्र सिंह को बंटवारा में प्राप्त भूमि जिस पर वादीगण संख्या 3 व 4 काबिज चले आ रहें हैं:चक 10 एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 21/18 का मुरब्बा नम्बर 32 की कुल 3.162 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि व इसी चक 10 एम एल का खाता संख्या 23/19 का मुरब्बा नम्बर 32 की कुल 2.087 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि व इसी चक 10 एम एल का खाता संख्या 26/24 का मुरब्बा नम्बर 32 की कुल 1.073 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 6.322 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि।

वादीगण अपने हिस्सा की भूमि, जो वादीगण को घरू बंटवारा में प्राप्त हुई है, पर पिछले काफी समय से काबिज चले आ रहें है तथा मौका पर काश्त कर रहें है तथा मौका पर वादीगण की फसले खड़ी हैं। शेष भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 काबिज हैं। यह कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने वादीगण को कहा हुआ है कि जब भी तुम चाहोगे, सहमति से बंटवारा तुम्हारे नाम करवा देगें। इसी विश्वास पर वादीगण ने उक्त रकबा में मेहनत करके व काफी रूपया खर्च करके सुधार कार्य करवाया है, मगर उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण वादीगण को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा वादीगण जो कि अग्रणी काश्तकार है, विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने से भी वंचित रह रहें हैं। कुछ दिन पूर्व वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से कहा कि वह घरू बंटवारानामा अनुसार विभाजन करके वादीगण के कब्जा काश्त की भमि वादीगण के नाम से अमल दरामद करवा देवे, पहले तो प्रतिवादी टाल मटोल करते रहे तथा दि 10.12.2020 को प्रतिवादीगण ने सहमति से बंटवारा करवाने से इन्कार कर दिया है। यही वाद कारण है। वादीगण द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर निम्न प्रकार से वाद डिकी किये जाने का निवेदन किया :–

(1) यह कि घोषणात्मक डिक्री पारित की जाकर वादीगण को वाद पत्र की मद संख्या 3 की उपमद संख्या क, ख व ग के अनुसार खातेदार घोषित किया जाकर उक्त भूमि वादीगण के नाम से दर्ज करवाई जाकर, लगान कायम करने का आदेश फरमाया जावे।

(2) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा दिनांक 15.01.2021 को आपसी सहमति के आधार पर राजीनामा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार इस प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर गांव के मौजूज व्यक्तियों ने प्रथम पक्ष एवं द्वितीय

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

पक्ष का आपस में राजीनामा करवा दिया है, अब वादी एवं प्रतिवादी के मध्य कोई विवाद नहीं रहा है। अतः वादीगण एवं प्रतिवादीगण उक्त वाद को निम्न प्रकार से: करवाना चाहत हः

(क). वादी स0 1 सुखदेव सिंह को चक 10 एम एल का खाता सं. 22/21 का मु. न. 44 का कि० न. 1 से 10 (प्रत्येक 0.253), 11/1, 12/1, 13/1, 14/1, 15/1 (प्रत्येक 0.177) कुल 3.415 है. नहरी भूमि का खातेदार घोषित किया जावे।

(ख). वादी संख्या 2 जगदेव सिंह को चक 10 एम एल तहसील व जिला श्रीगगानगर का खाता संख्या 21/18 का मुरब्बा नम्बर 36 का किला नम्बर 3/2(0.012), 3/3(0.114), 4 से 7, 14 से 18, 23 से 25 (प्रत्येक 0.253) कुल 3.162 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जावे।

(ग). वादीगण संख्या 3 व 4 गुरसेवक सिंह व हरविन्द्र सिंह को चक 10 एम एल का खाता संख्या 21/18 का मुरब्बा नम्बर 32 की कुल 3.162 हैक. नहरी कृषि भूमि व इसी चक 10 एम एल का खाता संख्या 23/19 का मुरब्बा नम्बर 32 की कुल 2.087 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि व इसी चक 10 एम एल का खाता संख्या 26/24 का मुरब्बा नम्बर 32 की कुल 1.073 हैक. नहरी कृषि भूमि, कुल 6.322 हैक. नहरी कृषि भूमि का बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जावे।

(घ) प्रतिवादी संख्या 1 गुरबचन सिंह को चक 10 एम एल का खाता सं. 21/18 का मुरब्बा न. 35 का किला न. 1(0.253), 2(0.253), 9(0.253), 10(0.253), 11/1(0.126), 12/1(0.126), 13/1(0.126), 14/1(0.126), कुल 1.516 है. कृषि भूमि व इसी चक 10 एम एल का खाता सं. 20/19 का मु. न. 35 का किला न. 13/2(0.126), 14/2(0.126), 15/2 (0.027 है० कि. न. 16 के साथ चिपता हुआ) 16(0.228), 17 से 20 (प्रत्येक 0.253), 25/1(0.126) कुल 1.645 हैक्टेयर कृषि भूमि व इसी चक 10 एम एल का खाता संख्या 26/24 का मुरब्बा नम्बर 33 का किला नम्बर 15/2(0.223), 16/2 (0.222) कुल 0.445 हैक्टेयर कृषि भूमि, व इसी चक 10 एम एल खाता संख्या 60 का मुरब्बा नम्बर 35 का किला नम्बर 21 ता 25/2 की 0.0988 है0 में से 0.089 हैक्टेयर कृषि भूमि (जो गुरमेल सिंह के नाम से है), इस प्रकार कुल 3.695 है. नहरी भूमि।

(ङ) प्रतिवादी संख्या 2 गुरमेल सिंह को चक 10 एम एल का खाता सं. 21/18 का मुरब्बा नम्बर 35 का किला नम्बर 3(0.253), 4(0.253), 5(0.228), 6(0.228), 7(0.253), 8(0.253), 15/1(0.127) = 1.595 है. कृषि भूमि व मुरब्बा न. 37 का किला नम्बर 1 ता 4(प्रत्येक 0.253), 6(0.253), 7(0.253) कुल 1.518 है. नहरी कृषि भूमि व इसी चक 10 एम एल का खाता संख्या 20/20 का मुरब्बा नम्बर 35 का किला नम्बर 15/2(0.074)=0.074 हैक्टेयर कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 37 का किला नम्बर 5(0.253)=0.253 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि, कुल 0.327 हैक्टेयर कृषि भूमि, इस प्रकार दोनों खातों की कुल 3.440 है0 कृषि भूमि। अतः उक्तानुसार वाद पत्र का निर्णय व डिक्री पारित की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान को कोई ऐतराज ना होगा।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पश हुआ।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 ग्राम 10 एमएल, पटवार हल्का लटठावाली भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 20/20, जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 ग्राम 10 एमएल, पटवार हल्का लटठावाली भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 21/18, जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 ग्राम 10 एमएल, पटवार हल्का लटठावाली भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 22/21, जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 ग्राम 10 एमएल, पटवार हल्का लटठावाली भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 23/19, जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 ग्राम 10 एमएल, पटवार हल्का लटठावाली भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 26/24, जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 ग्राम 10 एमएल, पटवार हल्का लटठावाली भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 60/55 पेश की। वादीगण द्वारा विरास्तन भूमि के साक्ष्य स्वरूप वाद के समर्थन में जमाबंदी ग्राम 10 एमएल, पटवार हल्का लटठावाली भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला तह. व जिला श्रीगंगानगर खाता संख्या 24, जमाबंदी ग्राम 10 एमएल, पटवार हल्का लटठावाली भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला तह. व जिला श्रीगंगानगर खाता संख्या 24/1, जमाबंदी ग्राम 10 एमएल, पटवार हल्का लटठावाली भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला तह. व जिला श्रीगंगानगर खाता संख्या 25/26, जमाबंदी ग्राम 10

Scanned with CamScanner

एमएल, पटवार हल्का लटठावाली भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला तह. व जिला श्रीगंगानगर खाता संख्या 26 पेश की। उक्त जमाबंदियों के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि पैतृक सिद्ध होती है।

–:: आदेश ::–

वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार से हैं। प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है, एवं वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक समझौता हो चुका है।

"राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदश 12 नियम 6, आदश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है।"

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण को निम्नानुसार खातेदार घोषित किया जाता है :–

क्र. सं.	नाम खातेदार	रकबा का विवरण
1.	सुखदेव सिंह पुत्र गुरमेल सिंह जाति जट सिख निवासी 10 एमएल ढाणी तह. व जिला श्रीगंगानगर	चक 10 एम एल का खाता सं. 22/21 का मु. न. 44 का कि० न. 1 से 10 (प्रत्येक 0.253), 11/1, 12/1, 13/1, 14/1, 15/1 (प्रत्येक 0.177) कुल 3.415 हैक. नहरी भूमि।
2.	जगदेव सिंह पुत्र गुरमेल सिंह जाति जट सिख निवासी 10 एमएल ढाणी तह. व जिला श्रीगंगानगर	चक 10 एम एल तहसील व जिला श्रीगगानगर का खाता संख्या 21/18 का मुरब्बा नम्बर 36 का किला नम्बर 3/2(0.012), 3/3(0.114), 4 से 7, 14 से 18, 23 से 25 (प्रत्येक 0.253) कुल 3.162 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि।
3.	गुरसेवक सिंह व हरविन्द्र सिंह पिसरान गुरबचन सिंह जाति जट सिख निवासी 10 एमएल ढाणी तह. व जिला श्रीगंगानगर	चक 10 एम एल का खाता संख्या 21/18 का मुरब्बा नम्बर 32 की कुल 3.162 हैक. नहरी कृषि भूमि व इसी चक 10 एम एल का खाता संख्या 23/19 का मुरब्बा नम्बर 32 की कुल 2.087 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि व इसी चक 10 एम एल का खाता संख्या 26/24 का मुरब्बा नम्बर 32 की कुल 1.073 हैक. नहरी कृषि भूमि, कुल 6.322 हैक. नहरी कृषि भूमि का बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाता है।
4.	प्रतिवादी संख्या 1 गुरबचन सिंह पुत्र पालसिंह उर्फ पाला सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर	चक 10 एम एल का खाता सं. 21/18 का मुरब्बा न. 35 का किला न. 1(0.253), 2(0.253), 9(0.253), 10(0.253), 11/1(0.126), 12/1(0.126), 13/1(0.126), 14/1 (0. 126), कुल 1.516 है. कृषि भूमि व इसी चक 10 एम एल का खाता सं. 20/19 का मु. न. 35 का किला न. 13/2(0.126), 14/2(0.126), 15/2 (0.027 है० कि. न. 16 के साथ चिपता हुआ) 16(0.228), 17 से 20 (प्रत्येक 0.253), 25/1(0.126) कुल 1.645 हैक्टेयर कृषि भूमि व इसी चक 10 एम एल का खाता संख्या 26/24 का मुरब्बा नम्बर 33 का किला नम्बर 15/2(0.223), 16/2 (0.222) कुल 0.445 हैक्टेयर कृषि भूमि, व इसी चक 10 एम एल खाता संख्या 60 का मुरब्बा नम्बर 35 का किला नम्बर 21 ता 25/2 की 0.0988 है0 में से 0.089 हैक्टेयर कृषि भूमि (जो गुरमेल सिंह के नाम से है), इस प्रकार कुल 3.695 है.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned with CamScanner

		नहरी भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।
5.	प्रतिवादी संख्या 2 गुरमेलसिंह पुत्र पाल सिंह उर्फ पाला सिंह जाति जट सिख निवासी 10 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर	चक 10 एम एल का खाता सं. 21/18 का मुरब्बा नम्बर 35 का किला नम्बर 3(0.253), 4(0.253), 5(0.228), 6(0.228), 7(0.253), 8(0.253), 15/1(0.127) = 1.595 है. कृषि भूमि व मुरब्बा न. 37 का किला नम्बर 1 ता 4(प्रत्येक 0.253), 6(0.253), 7(0.253) कुल 1.518 है. नहरी कृषि भूमि व इसी चक 10 एम एल का खाता संख्या 20/20 का मुरब्बा नम्बर 35 का किला नम्बर 15/2(0.074)=0.074 हैक्टेयर कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 37 का किला नम्बर 5(0.253)=0.253 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि, कुल 0.327 हैक्टेयर कृषि भूमि, इस प्रकार दोनों खातों की कुल 3.440 है0 कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋृण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 16.02.2021 को जारी किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष को बुलाकर सुनाया गया।

16.02.21.
(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन् सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर